न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/76

प्रार्थी:– सज्जनसिंह पुत्र इंद्रसिंह जाति राजपूत निवासी–कूरना, तहसील व जिला पाली हाल निवासी टैगोर नगर, पाली तहसील व जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत कूरना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कूरना पंचायत समिति पाली
2. मृतक गोमाराम पुत्र गणेश राम लौहार, कूरना पाली।
   2/1 बागाराम पुत्र गोमाराम लौहार, कूरना, पाली हाल निवासी विनायक फर्नीचर, टैगोर नगर लिंक रोड, पाली।
   2/2 मदनलाल पुत्र गोमाराम लौहार, कूरना, तहसील व जिला पाली
   2/3 पारस पुत्र गोमाराम लौहार, कूरना तहसील व जिला पाली हाल निवासी करण इंजिनियरिंग वर्क्स, अग्रवाल फैक्ट्री के सामने, गायत्री नगर, मैन सुमेरपुर रोड, पाली
   2/4 सुन्दर बेवा गोमाराम लौहार, कूरना तहसील व जिलां पाली
   2/5 पुष्पा पुत्री गोमाराम पत्नी सोहनलाल लौहार निवासी चाणोद, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत कूरना द्वारा मिसल संख्या 38/1972–73, संकल्प संख्या 38 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 164 दायर दिनांक 02.06.1975 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थी संख्या 2/2, 2/4, 2/5 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2/1, 2/3 वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में एक भूखण्ड 70 बाई 100 फुट का प्रश्नगत पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा आबादी भूमि से भिन्न खसरा संख्या 1098 चराई योग्य भूमि पर जारी किया है। मौका स्थिति एवं पट्टा के अड़ौस–पड़ौस भिन्न भिन्न है। ग्राम पंचायत ने बिना किसी आवेदन, बिना निर्धारित शुल्क, बिना किसी प्रस्ताव के प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का बाड़ा स्थित है जो कि खसरा संख्या 1089 में स्थित है, जो कि आबादी भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत की गिरदावरी तथा जांच रिपोर्ट अनुसार भी जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में जारी नहीं किया है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत कूरना द्वारा मिसल संख्या 38/1972–73, संकल्प संख्या 38 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 164 दायर दिनांक 02.06.1975 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र दिनांक 09.02.2008 के अनुसार जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और ज़वाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा, बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा आबादी भूमि के स्थान पर भिन्न खसरा संख्या 1089, जो कि चराई योग्य भूमि है, पर जारी किया गया है, जबकि पंचायत द्वारा केवल आबादी भूमि पर ही पट्टा जारी किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि पंचायत प्रसार अधिकारी, कलेक्ट्रेट पाली द्वारा खसरा संख्या 1089 की भूमि पर फर्जी पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 20.05.2011 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत पट्टा खसरा संख्या 1089 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, किस्म बिलानाम कृषि उपयोग भूमि चराई के योग्य भूमि पर अवैध एवं अनियमित रूप से जारी किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है तथा निरस्तीकरण योग्य है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम कूरना की जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 के अनुसार खसरा संख्या 1089 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा किस्म बिलानाम भूमि राजस्व अभिलेखों में कृषि उपयोग की चराई योग्य भूमि के रूप में दर्ज है। चराई योग्य भूमि ग्राम समुदाय की सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, जिस पर नियमानुसार पट्टा जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः उपलब्ध रिपोर्ट एवं दस्तावेजों से यह तथ्य सुस्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि से भिन्न चराई योग्य भूमि पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रश्नगत पट्टा नियमों के विपरीत तथा विधि विरूद्ध जारी किया गया प्रतीत होता है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1999 (3) RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

public land to any one. जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कूरना द्वारा मिसल संख्या 38/1972–73, संकल्प संख्या 38 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 164 दायर दिनांक 02.06.1975 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली